उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक ......**बी / 2254**........... / जबलपुर, दिनाँक **23** अप्रैल, 2019
(तीन–18–1 / 2019)

श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को वेतनमान रूपये **15600–39100+ग्रेड पे रूपये 5400 (छठवें वेतनमान अनुसार)** में अस्थाई एवं स्थानापन्न रुप से न्यायालय अधीक्षक के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से दिनॉक 09.09.2016 से पदोन्नत करते हुये, उन्हें न्यायिक जिला स्थापना, **गुना** में पदस्थ किया जाता है।

पदोन्नति उपरांत श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी की वरिष्ठता न्यायालय अधीक्षक की वरीयता सूची में श्री बृजेश कुमार पाठक, न्यायालय अधीक्षक, सागर के नाम के नीचे तथा श्री विद्यानिवास मिश्र, न्यायालय अधीक्षक, कटनी के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी की पदोन्नति उपरांत उनका वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ.ए.–1–2–73–1 / IV, दिनाँक 26.04.1974 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

नोट :–

रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368, दिनाँक 01.03.2018 के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कर, पालन सुनिश्चित करें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

23/4/19
{राजेन्द्र कुमार वाणी}
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0क्र0 ......**बी / 2255**........... / जबलपुर, दिनाँक **23** अप्रैल, 2019
(तीन–18–1 / 2019)

प्रतिलिपि :–

(1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर / गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

कृपया, संबंधित कर्मचारी को उसकी वर्तमान पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि उनके द्वारा पदोन्नत पद पर **दिनाँक 03.05.2019 (तीन मई सन् दो हजार उन्नीस)** तक कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित हो सके। यह भी अनुरोध है कि संबंधित कर्मचारी को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करायें।

(2) रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।

(3) रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

(4) अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(5) श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदोन्नत पद पर **दिनाँक 03.05.2019 (तीन मई सन् दो हजार उन्नीस)** तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें।

{बी.पी. शर्मा}
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

****